न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. श्री नरपतसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह, विक्रेता, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला–सिरोही, स्थाई पताः राजपुरोहितों का वास, रामसर, बाडमेर
2. श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री रीडमल सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टठेण्ड, रेवदर, तहसी– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः हस्तीनापुर, कानोडिया पुरोहितान, जिला– जोधपुर– 342314

F.S.S.Act Case No. 68/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 07 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 10–3–2025 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता नरपतसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2605, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या:748F/FSSA/2025 दिनांक 08--8–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28–10–2025 को प्रतिवादी संख्या 2 (दो) पप्पूसिंह उपस्थित हुये एवं जबाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 (दो) पप्पूसिंह उपस्थित नही हुआ एवं न ही इनकी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 (एक) नरपत सिंह पुत्र चन्दन सिंह को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–01–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 10--3--2025 को समय 04–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर के निरीक्षण के दौरान मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड़, रेवदर के अन्दर एक एल्युमिनियम की ट्रे में लगभग 04 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) आमजन को बिक्री

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

करने हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर के अन्दर एल्युमिनियम की ट्रे में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 04 किलोग्राम में से 02 (दो) किलोग्राम मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच, एक साफ, सूखे, खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 700/— (रुपये सात सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह व गवाह को चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक बोतलें दिखाकर, एवं खरीदशुदा मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) को हिलामिलाकर इन चारों साफ, सूखी व खाली बोतलों में बराबर—बराबर मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 40—40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2605, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) की चारों बोतलों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मवीर ने कब्जे/जाप्ते में लिया व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 12—03—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 10—3—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र चन्दन सिंह से खाद्य पदार्थ मिल्क

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.

केक (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2605 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./173/Act/2025/179 दिनांक 02—4—2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2605, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, विक्रेता, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर को प्रेषित की गई। जिस पर प्रतिवादी पप्पू सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर ने खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2605 के द्वितीय भाग की जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से करवाये जाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2605 के द्वितीय भाग को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः748F/FSSA/2025 दिनांक 08—08—2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2605, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही का प्रोपराईटरी पप्पू सिंह पुत्र श्री रीडमल सिंह, स्थाई पताः हस्तीनापुर, कानोडिया पुरोहितान, जोधपुर (प्रतिवादी संख्याः 2) है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पप्पू सिंह पुत्र श्री रीडमल सिंह की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर में प्रतिवादी विक्रेता नरपत सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2605) का विक्रय करके उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2605) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पप्पू सिंह पुत्र श्री रीडमल सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर, जिला— सिरोही, स्थाई पताः हस्तीनापुर, कानोडिया, पुरोहितान, जोधपुर पर राशि रुपये 35,000/— (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पप्पू सिंह पुत्र श्री रीडमल सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 07 जनवरी, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही